रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1993/पौष 9, 1915

No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1993/PAUSA 9, 1915

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1993

10 प्रतिशत भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनः पूंजीकरण बांड, 2006 जारी करना।

सं. एफ. 4(13)-डब्ल्यू. एण्ड एम./93.—भारत सरकार एतद्द्वारा पहली जनवरी, 1994 को 10 प्रतिशत भारत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनः पूंजीकरण बांड, 2006 (जिन्हें संक्षेप में "10 प्रतिशत पुनः पूंजीकरण बांड, 2006" के रूप में वर्णित किया गया है) के जारी करने को अधिसूचित करती है।

1. पात्रता और निवेश के लिए सीमा

राष्ट्रीयकृत बैंक, जैसाकि संलग्न अनुबंध में उल्लेख किया गया है, बांडों के अभिदान के लिए पात्र होंगे और बांडों के लिए उनका अभिदान उनके पूंजी आधार, जैसाकि उनके संबंधित नामों के सामने उक्त अनुबंध में दिखाया गया है, को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि की हद तक सीमित होगा। कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा कोई अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति उक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर इन बांडों के अभिदान के पात्र नहीं होंगे :

बशर्ते कि उक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें बैंक, निगम अथवा कोई अन्य निकाय शामिल है, के पक्ष में ऐसे बांडों के अन्तरण और ऐसे अंतरितियों द्वारा आगे के पैरा 6 में निर्धारित रीति से बांडों के बाद के अन्तरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तदनुसार, बांडों के ऐसे अन्तरिती बांडों के धारण और बांडों के अंतरण के हकदार होंगे।

2. मूल्य, निर्गम की तारीख

बांडों का निर्गम मूल्य प्रत्येक 10,000 (नामिनल) के लिए 10,000 रुपए होगा।

बांड पात्र बैंकों से आवेदन पर जारी किए जाएंगे।

बांड के जारी करने की तारीख अनुबंध में यथा उल्लिखित पात्र बैंकों से अभिदान की प्राप्ति की तारीख होगी।

3. वापसी-अदायगी

बांडों की अदायगी निम्नलिखित तारीखों को छः बराबर वार्षिक किस्तों में की जाएगी :

किस्त संख्या	तारीख
1.	1 जनवरी, 2001
2.	1 जनवरी, 2002
3.	1 जनवरी, 2003
4.	1 जनवरी, 2004
5.	1 जनवरी, 2005
6.	1 जनवरी, 2006

4. ब्याज

बांडों पर ब्याज की दर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। समय-समय पर बकाया राशि पर उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (2) के अनुसार बांडों के जारी करने की तारीख से छमाही अन्तराल पर ब्याज की अदायगी की जाएगी और बांड पर यह अदायगी उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार वापसी अदायगी की छठी और अंतिम किस्त की तत्काल पूर्व तारीख तक देय होने पर की जाएगी। बशर्ते कि बांड का धारक देय तारीख को राशि, जो देय हो गई है और अदा की जानी है, वसूल करने से रह जाता है तो वह उस मामले में ऐसी राशि पर किसी ब्याज संबंधी दावे के लिए हकदार नहीं होगा।

बांडों पर ब्याज की अदायगी भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुअनंतपुरम स्थित कार्यालयों, लोक ऋण कार्यालय (पी.डी.ओ.) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सरकारी राजकोष कारोबार करने वाले एजेंट बैंकों की शाखाओं और पी.डी.ओ. द्वारा सेवित भारत में किसी अन्य राजकोष अथवा उप राजकोष, जहां भारतीय रिजर्व बैंक अथवा इसके एजेंट बैंक का कार्यालय नहीं है, से की जाएगी।

5. प्रतिभूति का स्वरूप

बांड स्टाक के रूप में जारी किए जाएंगे अर्थात् स्टाक पत्र अथवा सहायक सामान्य बही खाते में जमा द्वारा जारी किए जाएंगे। तथापि, पात्र राष्ट्रीयकृत बैंकों को बांडों का प्रारंभिक निर्गम केवल उनके सहायक सामान्य बही खाते में जमा द्वारा किया जाएगा जिसे वे बाद में स्टाक पत्र में परिवर्तित करवा सकते हैं और बैंकों, निगमों अथवा अन्य किसी निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकते हैं।

6. अभिदान की न्यूनतम राशि और मूल्य वर्ग

बांड कम से कम 10,000 रुपए (नामिनल) की राशि और उसके पश्चात 10,000 रुपए के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

7. हस्तांतरणीयता

धारक द्वारा बांडों को लोक ऋण अधिनियम, 1944 और उसके अन्तर्गत तैयार किए गए लोक ऋण नियम, 1946 के उपबंधों के अनुसार अंतरित किया जा सकता है।

8. सांविधिक उपबंध

ये बांड लोक ऋण अधिनियम, 1944 और उसके अन्तर्गत तैयार किए गए लोक ऋण नियम, 1946 द्वारा शासित होंगे।

9. कर कानूनों की प्रयोज्यता

बांडों में निवेश का मूल्य और उन पर ब्याज समय-समय पर प्रयोज्य कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

10. बांडों की पात्रता

बांडों में निवेश, अभिदान करने वाले बैंक अथवा बैंकों, अन्य संस्थाओं जिसमें वित्तीय संस्थाएं, निगम अथवा किसी अन्य निकाय जिसे बांड पात्र निवेश के रूप में बाद में अंतरित किए जाते हैं जिसकी उन्हें किसी सांविधिक अपेक्षा अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी मामला हो, के अनुसरण में सरकारी प्रतिभूति में निवेश की अपेक्षा की गई है, पात्र निवेश नहीं माना जाएगा।

बांडों को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के ऋण के लिए प्रतिभूति का पात्र स्वरूप माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
एन.पी. बागची, अपर सचिव (बजट)

अनुबंध

क्रम संख्या	बैंक का नाम	राशि का आवंटन (करोड़ रु.)
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	90
2.	आन्ध्रा बैंक	150
3.	बैंक आफ बड़ोदा	400
4.	बैंक आफ इंडिया	635
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	150
6.	केनरा बैंक	365

1	2	3
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	490
8.	कारपोरेशन बैंक	45
9.	देना बैंक	130
10.	इंडियन बैंक	220
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	705
12.	ओरियन्ट बैंक आफ कोमर्स	50
13.	पंजाब नेशनल बैंक	415
14.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	160
15.	सिंडीकेट बैंक	680
16.	यूको बैंक	535
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	200
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	215
19.	विजय बैंक	65
		5700

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1993

Issue of 10 per cent Government of India Nationalised Banks' Recapitalisation Bonds, 2006.

No. F.4(13)-W&M/93.—Government of India hereby notifies the issue of 10 per cent Government of India Nationalised Banks' Recapitalisation Bonds, 2006, (briefly described as "10 per cent Recapitalisation Bonds, 2006") on January 1, 1994.

1. Eligibility and limit for investment

The nationalised banks as referred to in the Annexure hereto shall be eligible to subscribe to the Bonds and their subscription to the Bonds shall be limited to the extent of the amount allocated by the Government of India for strengthening their capital base as shown against their respective names in the said Annexure. No other person including any bank, company, corporation or any other body except said nationalised banks shall be eligible to subscribe to the Bonds :

Provided that there will be no restriction on the transfer of such Bonds by the said nationalised banks in favour of other person including banks, corporations or any other body and subsequent transfer of the Bonds by such transferees in the manner as stipulated in para 6 hereinafter. Accordingly, such transferees of the Bonds would also be entitled to hold and transfer the Bonds.

2. Price, date of issue

The issue price of the Bonds will be Rs. 10,000 for every Rs. 10,000 (Nominal).

The Bonds shall be issued on application from the eligible banks.

The date of issue of the Bonds will be the date of receipt of subscription from the eligible Banks as referred to in the Annexure.

3. Repayment

The Bonds shall be repayable in six equal annual instalments on the following dates:

Instalment No.	Date
1	January 1, 2001
2	January 1, 2002
3	January 1, 2003
4	January 1, 2004
5	January 1, 2005
6	January 1, 2006

4. Interest

The Bonds will bear interest at the rate of 10 per cent per annum. Interest will be payable at half yearly intervals from the date of issue of Bonds in terms of sub-para (2) of paragraph 2 hereinabove on the amount outstanding from time to time till the date immediately preceding the date on which the 6th and final instalment of repayment as per para 3 hereinabove becomes due and payable on the Bond. Provided that in case a holder of the Bond fails to collect the amount on due date which has become due and payable he shall not be entitled to claim any interest on such amount.

Interest on the Bonds will be payable at the offices of Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna, Thiruvananthapuram, at branches of agent banks conducting Government Treasury business within the jurisdication of PDO and at any Treasury or Sub-Treasury in India served by the PDO, where there is no office of Reserve Bank of India or its agent bank.

5. Form of Security

The Bonds will be issued in the form of Stock, i.e., the Stock Certificates or by credit to Subsidiary General Ledger Account. However, the initial issue of the Bonds to the eligible nationalised banks will be made only by credit to their Subsidiary General Ledger Accounts which can subsequently be got converted into Stock Certificates by them and transferred to any other person including banks, corporations or any other body.

6. Minimum amount of subscription and denomination

The Bonds will be issued for a minmum amount of Rs. 10,000 (Nominal) and in multiples of Rs. 10,000 thereafter.

7. Transferability

The Bonds can be transferred by the holder in acordance with the provisions of the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed hereunder.

8. Statutory provisions

The Bonds will be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

9. Applicability of tax laws

The value of the investment in Bonds and the interest thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

10. Eligibility of Bonds

The investment in the Bonds would not be considered as an eligible investment by the subscribing banks or the banks, other institutions including Financial Institutions, Corporation or any other body to which the bonds are subsequently transferred as eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory requirement or administrative order as the case may be.

The Bonds would be considered as eligible form of securities for loan from any bank or financial institution.

By Order of the President of India

N.P. BAGCHEE, Addl. Secy.

ANNEXURE

Sr. No.	Name of Bank	Allocation of capital (Rs. crore)
1.	Allahabad Bank	90
2.	Andhra Bank	150
3.	Bank of Baroda	400
4.	Bank of India	635
5.	Bank of Maharashtra	150
6.	Canara Bank	365
7.	Central Bank of India	490
8.	Corporation Bank	45
9.	Dena Bank	130
10.	Indian Bank	220
11.	Indian Overseas Bank	705
12.	Oriental Bank of Commerce	50
13.	Punjab National Bank	415
14.	Punjab & Sind Bank	160
15.	Syndicate Bank	680
16.	UCO Bank	535
17.	Union Bank of India	200
18.	United Bank of India	215
19.	Vijaya Bank	65
		5700

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994